**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4252**
**(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता**

**4252. श्री जगदम्बिका पाल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को किस प्रकार परिभाषित करती है और क्या उक्त पाठ्यक्रम की अवधि क्षेत्र या कार्य के आधार पर भिन्न होती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डीडीयू-जीकेवाई ने देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में, ग्रामीण युवाओं के लिए सतत् आजीविका सृजन में किस हद तक योगदान दिया है;

(घ) ग्रामीण महिलाओं , विशेषकर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में , के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर उक्त योजना का विशिष्ट प्रभाव क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के आकांक्षी जिलों में डीडीयू-जीकेवाई केंद्रों और प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(श्री कमलेश पासवान)**

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई ) एक मांग आधारित योजना है और राज्यों को उनके द्वारा की गई मांगों के आधार पर निधियां जारी की जाती है। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

**पहली किस्त** 25% - स्वीकृति आदेश और समझौता ज्ञापन के आधार पर।

**दूसरी किस्त** 25%- प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रमाणन के 20% पूरा होने और नियोजन मानदण्डों के 7% प्राप्ति के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अन्य वित्तीय विवरणों सहित पहली किस्त की 60% निधियों के उपयोग के आधार पर।

**तीसरी किस्त** 25%- प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रमाणन के 60% पूरा होने और नियोजन मानदण्डों के संचयी रूप से 25% की प्राप्ति के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अन्य वित्तीय विवरणों सहित पहली और दूसरी किस्त की 90% निधियों के उपयोग के आधार पर।

**चौथी किस्त** 25%- प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रमाणन के 100% पूरा होने और नियोजन मानदण्डों के संचयी रूप से 70% की प्राप्ति के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 08/2020 के अनुसार परियोजना समापन रिपोर्ट और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अन्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को सभी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जाते हैं।

(ख) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि 576 घंटे से 2,304 घंटे के बीच होनी चाहिए। व्यवसायों/नौकरियों की भूमिकाओं का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियोजन अवसरों के आधार पर और संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण आमतौर पर निम्नलिखित अवधि में दिया जाता है:

**3 महीने** – 576 घंटे
**6 महीने** – 1,152 घंटे
**9 महीने** – 1,728 घंटे
**12 महीने** – 2,304 घंटे

इनमें से पाठ्यक्रमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

**अल्पकालिक पाठ्यक्रम:** 576 से 1,152 घंटे

**दीर्घकालिक पाठ्यक्रम:** 1,153 से 2,304 घंटे

(ग) और (घ) डीडीयू-जीकेवाई, 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है और नियमित श्रम बाज़ारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है , जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियाँ मिलती हैं। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( 50%), महिलाओं (33%), और दिव्यांगजनों (5%) का सामाजिक समावेशन प्रदान करता है।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत जुलाई, 2025 तक प्रशिक्षित/नियोजित कुल युवाओं और महिलाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| **प्रगति** | **कुल प्रशिक्षित** | **प्रशिक्षित महिलाएं** | **कुल नियोजित** | **नियोजित महिला** |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 से जुलाई, 2025 तक | 17,60,476 | 9,12,432 | 11,52,466 | 5,75,320 |

वर्ष 2018-19 से जुलाई , 2025 तक **उत्तर प्रदेश** में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित/नियोजित कुल युवाओं और कुल महिलाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| **प्रगति** | **कुल प्रशिक्षित** | **प्रशिक्षित महिलाएं** | **कुल नियोजित** | **नियोजित महिला** |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 से जुलाई, 2025 तक | 163302 | 112008 | 92952 | 66816 |

[एमआईएस http://kaushalpragati.nic.in की शुरूआत 2018-19 से महिलाओं के राज्यवार आंकड़े रखे गए हैं]

(ङ) सरकार ने आकांक्षी ज़िलों वाले सभी राज्यों सहित पूरे देश में डीडीयू-जीकेवाई 2.0 शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के आकांक्षी ज़िलों में सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

| **क्र.सं.** | **जिले का नाम** | **सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | फ़तेहपुर | 1 |
| 2. | सोनभद्र | 1 |

*****